भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4284
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता

4284. श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री बिद्युत बरन महतोः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, देश भर में, विशेषकर झारखंड और राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में छोटे और सीमांत किसानों को संरक्षण प्रदान कर रही है;
(ख) विगत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत जालौर और सिरोही जिलों सहित देश भर में बीमा लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की कुल संख्या कितनी है और किस राज्य में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं;
(ग) सरकार द्वारा पीएमएफबीवाई योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए क्या डिजिटल या प्रौद्योगिकीय पहल की गई है; और
(घ) क्या सरकार का उक्त योजना को भविष्य में और अधिक प्रभावी और किसान हितैषी बनाने के लिए इसमें कोई संशोधन या सुधार करने का विचार है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) देश में खरीफ 2016 सीज़न से आरंभ की गई थी। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी इच्छुक किसान इस योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को फसल के बुवाई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक, सभी अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों/और अत्यधिक प्रतिकूल जलवायु आपदाओं के लिए उचित प्रीमियम पर व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है।

चूँकि PMFBY राज्यों और किसानों दोनों के लिए स्वैच्छिक है इसलिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्र में जोखिम और अपनी वित्तीय स्थितियों आदि को ध्यान में रखते हुए इस योजना से जुड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। झारखंड राज्य ने कुछ सीज़न्स तक इसे कार्यान्वित करने के बाद अपने स्वयं के कारणों से इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रयासों से, झारखंड वर्ष 2024 में इस योजना में फिर से शामिल हो गया। राजस्थान इस योजना के शुभारंभ अर्थात् वर्ष 2016 से ही इसे कार्यान्वित कर रहा है।

(ख): दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2022-23 से 2024-25 (खरीफ-2024 तक) के दौरान कुल मिलाकर 8,86,08,600 किसान आवेदनों को बीमा दावे प्राप्त हुए हैं। इसी अवधि के दौरान, राजस्थान के जालौर और सिरोही ज़िलों में क्रमशः लघु एवं सीमांत किसानों के 3,94,934 और 13,332 आवेदनों के दावों का भुगतान किया गया।

शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए, **कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH)** के तहत एक अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहाँ किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे दर्ज करा सकते हैं। दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, KRPH पर 16.74 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 16.33 लाख शिकायतों (97.5%) का समाधान कर दिया गया है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से, KRPH पर सबसे अधिक शिकायतें महाराष्ट्र राज्य (13.37 लाख) से प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ): फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और स्टेकहोल्डर्स/अध्ययनों से प्राप्त सुझाव/अभ्यावेदन/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के सुझावों के आधार पर, बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को और अधिक किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2018, 2020 और 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों में समय-समय पर व्यापक संशोधन किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के अंतर्गत पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँचें।

सरकार ने किसान आवेदनों के कवरेज में वृद्धि, पारदर्शिता लाना, दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करते हुए योजना के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई तकनीकी पहल की हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

i. **राष्ट्रीय कृषि बीमा पोर्टल (NCIP)-** सरकार द्वारा यह पोर्टल एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित किया गया है जो सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और किसानों के डायरेक्ट ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलिवरी, बेहतर निगरानी के लिए बीमित किसान के विवरण को अपलोड करना/प्राप्त करना और किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावे की राशि का ट्रांसफर सुनिश्चित करता है।

ii. दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम भुगतान मॉड्यूल'** नामक एक विशिष्ट मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है ताकि सभी दावों को समय पर और पारदर्शी ढंग से प्रॉसेस किया जा सके।

iii. उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोगों (CCE) के डेटा को एकत्रित करने और उसे NCIP पर अपलोड करने के लिए **CCE-Agri App** का विकास, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि कदम किसानों के दावों के समय पर निपटान की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए पहले ही उठाए जा चुके हैं।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से फसल क्षति एवं नुकसान के निष्पक्ष आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

(क) उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में सहायता हेतु क्रमिक रूप से रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान में माइग्रेट करने के लिए **यस-टेक (यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नॉलजी)**। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में 30% भारांश अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज अनुमान को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ 2024 सीज़न से जोड़ा गया है।

(ख) ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर हाइपर लोकल वेदर डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क से पाँच गुना अधिक क्षमता वाले ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन्स (AWS)और ऑटोमैटिक रेन-गेजेज़ (ARG) का नेटवर्क स्थापित करने हेतु **विंड्स (वेदर इन्फ़र्मेशन नेटवर्क ऐंड डेटा सिस्टम)**। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग के समन्वय से अंतर-संचालनीयता और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल किया जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी आँकड़े प्रदान करता है।

*****